डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
247/2025	05/08/2025	29/12/2025

1. गुलाब देवी पत्नि अर्जुनलाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम कानडवास पोस्ट बूड़थल तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

वादीया

बनाम

1-लालीदेवी पत्नि कालूराम

2- कालूराम पुत्र नारायण लाल

जाति मीना निवासी राणा कोलोनी मीणावाला सीरसी रोड जयपुर

3- श्रवण मीणा पुत्र भौरीलाल

4- शंकर लाल पुत्र नारायणलाल

5- सुनीता देवी पत्नि शंकरलाल

6- मुकेशी देवी पत्नि श्रवणलाल

समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम तिलक नगर पोस्ट विलोद तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

7-राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

8-उपपजियक तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री किशनलाल बैरवाः– वकील वादी

श्री विनोद कुमार शर्मा :– वकिल प्रतिवादीगण

–: डिकी आदेश :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री राजेश मीना बहाजिरी श्री किशनलाल बैरवा वकील वादी एवं श्री विनोद कुमार शर्मा वकिल प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट 1955 स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तिलकनगर के खसरा नम्बर 285 रकबा 0.6400 हैक्टेयर है में स्थित वादी की आंशिक भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के अवैध कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही करे। तदानुसार पालना की जावें। यदि बेदखल करने में कोई बांधा उत्पन्न होती है तो आप स्वयं अपने स्तर से पुलिस जाप्ता लेकर पालना करवाना सुनिश्चित करें।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 29/12/2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)

(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्‌हजराय हुक्मनामा			बबत्‌हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
247 / 2025	05 / 08 / 2025	29 / 12 / 2025

1. गुलाब देवी पत्नि अर्जुनलाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम कानडवास पोस्ट बूड़थल तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

वादीया

बनाम

1-लालीदेवी पत्नि कालूराम
2- कालूराम पुत्र नारायण लाल
जाति मीना निवासी राणा कोलोनी मीणावाला सीरसी रोड जयपुर
3- श्रवण मीणा पुत्र भौरीलाल
4- शंकर लाल पुत्र नारायणलाल
5- सुनीता देवी पत्नि शंकरलाल
6- मुकेशी देवी पत्नि श्रवणलाल
समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम तिलक नगर पोस्ट बिलोद तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
7-राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।
8-उपपजियक तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल बैरवाः— वकील वादी
श्री विनोद कुमार शर्मा :— वकिल प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—183 आर0टी0एक्ट 1955

—: निर्णय :—

प्रार्थीगण की ओर से एड0 श्री किशनलाल बैरवा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि बाके ग्रामतन तिलक नगर पटवार हल्का बिलोद तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राज में स्थित कृषि भूमि खाता नं. 20 जिसके खसरा 285 रकबा 0.6400 हैक्टेयर भूमि वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड जमावन्दी संम्वत 2073-76 में दर्ज स्थित है तथा वादीया काबिज काश्त चली आ रही है ओर वादीया मीना समुदाय के गरीब व्यक्ति है प्रतिवादीगण 1 ता 6 भी मीना समुदाय के व्यक्ति है। जो कि बाहुबल व संख्यावल में अधिक है और वादीया की भूमि से प्रतिवादीगण 1 ता 6 का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 बाहुबल व सख्याबल में अधिक है जो कि वादीया की भूमि खसरा 285 रकबा 0.6400 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का लगभग 0.10 हैक्टेयर भूमि पर कच्ची मेडबन्दी करके बिना बिधिपूर्ण प्राधिकार के अवैध कब्जा किया हुआ है। तथा कब्जा हटाने की कहने पर गाली गलोच व लडाई झगडा करते है तथा वादीया के परिवारजन अपनी भूमि पर जाते है तब प्रतिवादीगण 1 ता 6 व उनके परिवारजन वादीया को उक्त वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने की धमकिया देते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अतिकमी की श्रेणी में आते है। जिसे अन्तर्गत धारा 183 आर० टी० एक्ट में वेदखल किया जाना कानूनन आवश्यक है। इसलिये वादीया द्वारा श्रीमान के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश करना लाजमी हुआ है। वादीया को अपनी भूमि की सुरक्षा करने उपयोग व उपभोग कर शान्ति

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पूर्ण काश्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। यह कि वादीया द्वारा अपनी भूमियों की पत्थरगढी बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 115/2025 बउनवानी गुलाबदेवी बनाम कानाराम वगै० में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ में पेश करने के बाद जब न्यायालय ने तहसीलदार से मोका रिपोर्ट तलब की गया तो मोके पर जाकर पटवार हल्का द्वारा मोका रिपोर्ट दिनाक 06/06/2025 को फर्द रिपोर्ट तैयार की तो मोके पर प्रतिवादीगणों संख्या 1 ता 6 का वादीया की लगभग 0.10 हैक्टेयर भूमि पर बिना किसी अधिकार के अवैध कब्जा सामने आया था तथा दिनाक 27/07/2025 को प्रतिवादीगण 1 ता 6 उनके परिवारजन खसरा 285 भूमि के मोके पर आये तथा किये गये कब्जा की भूमि पर पुख्ता पक्का निर्माण कार्य करने की बाते करने लगे तो वादीया के परिवारजनों ने उक्त भूमि अपने नाम होने व उस पर निर्माण नही करने को सालिन्ना से बात की तो प्रतिवादीगण आकोश में आकर लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये व निर्माण को रोकने पर जान से हाथ धोने की धमकीया दी। इस आधार पर प्रति वादीया उक्त भूमि पर पक्का कब्जा कर बेवजह विवाद उत्पन्न करना चाहतें है। रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादीगणों का कब्जा बताया था जिसके बाद दिनाक 28/07/2025 को पुन प्रतिवादीगणो को कब्जा हटाने के लिये कहा तो कब्जा हटाने से साफ इनकार कर दिया है। इसलिये प्रतिवादियो 1 ता 6 को बैदखल करने हेतु श्रीमान के समक्ष वाद पत्र बाबत बैदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183.188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है। वादीया की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं होने के बावजूद वादीगणो की सीमा में प्रतिदिन अवैध अतिकृमण करते रहतें है। फर्द रिपोर्ट को उक्त प्रतिवादीगण नही मानते है व ना ही अवैध अतिकृमण छोड़ना चाहते है। तथा अतिकृमण हटवाने व आगे भविष्य में कोई विवाद न हो इसलिये वादी द्वारा उक्त वाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। वादी दिंनाक 27/07/2025 को प्रतिवादीगण उनके परिवारजन उक्त खसरा पर पक्का कब्जा करने की धमकी देने व पुन दिंनाक 28/07 / 2025 को कब्जा हटाने के लिये कहने पर कब्जा से साफ इनकार करने से लेकर आज तर्क वाद कारण निरन्तर जारी हैं। वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण के खिलाफ अवेध कब्जा को बेदखली कर वादीया को भूमि सम्भलाने के आदेश करवाने बाबत उक्त वाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ ।

(1) यह कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 6 बेदखल डिकी किया जाकर ग्रामतन तिलक नगर पटवार हल्का बिलोद तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज में स्थित वादीया की कृपि भूमि खाता नं. 20 जिसके खसरा 285 रकबा 0.6400 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का लगभग 0.10 हैक्टेयर भूमि पर कच्ची मेडबन्दी करके बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के किया गया अवैध कब्जा से बेदखल किया जाकर वादीया को कब्जा दिलवाया जाने के आदेश फरमाया जाये व तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि टीम गठित कर वादीया को कब्जा सम्भालाया जावें।

(2)- यह कि बाद वादीगणों बिरूध प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के इस प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादीया के उपयोग उपभोग व कब्जा काश्त में दखल वं बाधा उतपन्न नही करे व किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे तथा मोके की यथास्थिति बनाये रखे उक्त कार्य ना तो स्वयं करे व ना ही अपने परिवारजनो व एजेन्ट सर्वेन्ट से करवाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 को तलबी नोटिस भिजवाये एक माह से अधिक समय हो जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उक्त कि विरूध्द एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया। तथा तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा रिपोर्ट तैयार कर पेश कि उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम तिलकनगर के खसरा नम्बर 285 रकवा 0.6400 हैक्टेयर है, गुलाबदेवी पत्नि अर्जुनलाल मीना कानडवास बस्सी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्ररत भूमि में प्रतिवादी का 0. 10 हैक्टेयर कब्जा है। उक्त खसरा नम्बर में बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करके सीधी बहस कि। वकिल उभय पक्ष की बहस सूनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, दावा व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पेश रिपोर्ट मे अंकित किया कि ग्राम तिलकनगर के खसरा नम्बर 285 रकबा 0.6400 हैक्टेयर है, गुलाबदेवी पत्नि अर्जुनलाल मीना कानडवास बस्सी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्ररत भूमि में

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी का 0.10 हैक्टेयर कब्जा है। उक्त खसरा नम्बर में बेदखली की कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

वकिल उभय पक्ष की बहस पर मनन करने व तहसीलदार रिपोर्ट आदि के अवलोकन करने पर यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का वादीया की लगभग 0.10 हैक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट 1955 स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तिलकनगर के खसरा नम्बर 285 रकबा 0.6400 हैक्टेयर है में स्थित वादी की आंशिक भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के अवैध कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही करे। तदानुसार पालना की जावें। यदि बेदखल करने में कोई बांधा उत्पन्न होती है तो आप स्वयं अपने स्तर से पुलिस जाप्ता लेकर पालना करवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 29/12/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले इअ न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़

Scanned with OKEN Scanner